

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20 / म0स्वा0कार्य0 / जी-83 / 2017 /

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती जाट गौरी बेन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधीन उपकेन्द्र पोपावास, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चावण्डा, खण्ड मण्डोर (जोधपुर) को आर.एस.आर. के नियम 8 (क) के प्रावधानों के तहत जाट गौरी बेन के स्थान पर गौरी चौधरी नाम परिवर्तन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20 / म0स्वा0कार्य0 / जी-83 / 2017 / 936

दिनांक:- 28/8/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिका की सेवापुस्तिका में यथा स्थान संशोधन कर प्रमाणित करें।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डोर (जोधपुर)।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर